राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–811/2025

धर्म सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक	:	20.01.2025
आदेश की दिनांक	:	13.02.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से	: श्री विक्रम शिषवाल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से	: श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ पटवारी के पद पर प.म. जहानपुर तह. वैर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/ स्थानांतरण प. स. कारई तह. रूपबास में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी वरिष्ठ पटवारी के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश में अपीलार्थी को पटवारी होना मानते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो गलत है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी वरिष्ठ पटवारी के पद पर कार्यरत है और आलोच्य आदेश में अपीलार्थी को पटवारी दर्शित करते हुए स्थानांतरण किया गया है, जो गलत है। हम पात हैं कि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का पद वरिष्ठ पटवारी के स्थान पर केवल पटवारी अंकित किये जाने से स्थानांतरण आदेश को दुर्भावनापूर्वक पारित किया

जाना नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उक्त आदेश में अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान सहीं अंकित किया गया है, जहां से अपीलार्थी को स्थानांतरित किया गया है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी की इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)